[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)

Notification

New Delhi, 08.05.2026

S.O.- In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with sub-rule (2) of rule 12 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby recognises M/s Mitra S. K. Private Limited, House No.-1917, Sukalbhatwadi, At & Post- Redi, Taluka- Vengurla, Dist-Sindhudurg, Maharashtra - 416517 (hereinafter referred to as said agency), as an agency for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the inspection of Minerals and Ores Group-I, namely Iron Ore as specified in the Schedule annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, published in the Official Gazette *vide* number S.O. 3975 dated 20th December, 1965, and testing of said Minerals and Ores at M/s Mitra S. K. Private Limited Laboratory, Flat No. T1, H No. 14/264/A(14), 3rd Floor, Vasco Citi Centre, Swatantra Path, Vasco-da-Gama, Goa – 403802 prior to export of the said Minerals and Ores at Redi Port and Kiranpani Port subject to the following conditions, namely:

(i) the said agency shall extend adequate cooperation and assistance to the officers nominated by the Export Inspection Council in this behalf to carry out the inspection specified under rule 4 of the Export of Minerals and Ores - Group I (Inspection) Rules, 1965; and

(ii) the said agency, in performance of their function as specified in this notification shall be bound by such directions, as the Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, may give in writing from time to time.

[F.No K-16014/2/2026-Export Inspection]

(Ujjwal Kumar Ghosh)
Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड -3, उप खंड(ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 08.05.2026

का.आ. केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एंव निरीक्षण) अधिनियम,1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम,1964 के नियम 12, के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स मित्रा एस. के. प्राइवेट लिमिटेड, हाऊस नंबर-1917, सुकलभटवादी, एट एंड पोस्ट-रेडी, तालुका-वेंगुर्ला, जिला-सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र-416517 (जिसे एतद्पश्चात उक्त अभिकरण कहा जाएगा) को इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की शासकीय राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के साथ अनुसूची में निर्दिष्ट दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 की अधिसूचना सं॰ का.आ. 3975 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट खनिज और अयस्क समूह-I, अर्थात लौह अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन रेडी पत्तन तथा किरणपानी पत्तन में उक्त खनिज और अयस्क का निरीक्षण और मेसर्स मित्रा एस. के. प्राइवेट लिमिटेड, प्रयोगशाला, फ्लैट नं. T1, मकान नं. 14/264/A(14), तीसरी मंज़िल, वास्को सिटी सेंटर, स्वतंत्र पथ, वास्को-द-गामा, गोवा – 403802 में उक्त खनिजों और अयस्कों का परीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रुप में मान्यता देती है, अर्थात् :

(i) यह अभिकरण, खनिज और अयस्क समूह-I का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण की पद्धति की जाँच करने के लिये निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सहयोग और सहायता प्रदान करेगी; और

(ii) यह अभिकरण, इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए, निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा समय-समय पर लिखित रूप में दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा.सं . के-16014/2/2026- निर्यात निरीक्षण]

(उज्ज्वल कुमार घोष)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार